


श्री सोहन
सिंह धारा-
परगना परगना
फैजाबाद

का समय वाहा गया था, उसे वापस लेना चाहता हूँ। उक्त वाद में मुझे कोई आपत्ति नहीं पड़ती है। आवेदित क्षेत्रफल अकृषिक भूमि घोषित करने योग्य है, जिसे घोषित कर दिया जाय। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित भूखण्ड को गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम हल्लीपुर सिंहपुर, परगना मगलसी तहसील सोहावल जिला फैजाबाद की खतौनी सन् 1415-1420 फ० के खाता सं०-82 पर अंकित गांटा नम्बर 281/1366 हे० को गैर कृषि प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया जाता है। नियम 136 के अनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित उप निवेशक को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।


दिनांक 20/9/11


(अमयराज)
उप जिलाधिकारी,
सोहावल-फैजाबाद।

गणपति शंकरायण

श्री 5 अगस्त - 400


M. K. Chaudhary
Advocate
Notary, Malabar


M. H. J. J.
14.10.11